विद्यालय का नाम :- SCOTLE HIGH SCHOOL (P63107)

एनओसी कोड- RJJA131543

<u>कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर</u> प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सचिव केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केंद्र-2 सामुदायिक केंद्र प्रीत विहार दिल्ली एवं सचिव सी.आई.एस.सी.ई प्रगति हाउस तीसरी मंजिल 47-48 नेहरु प्रैलेस नई दिल्ली द्वारा सत्र 2021-22 हेतु सी.बी.एस.ई/सी.आई.एस.सी.ई नई दिल्ली से संबद्धता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के पत्रांक प्र. भू है) दिला भारा पत्र 2021-22 एप पा. भारपत्र राजा राज्य राजा राज्य पर पत्र में अंकित सत्र एवं राज्य सरकार के पत्रांक प्र. भू है) दिला - 1. [2009] दिनांक ... २५ ... की पालना में गैर सरकारी विद्यालय को इस प्रमाण पत्र में अंकित सत्र एवं माध्यम के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से संबद्धता प्राप्ति हेतु निम्न शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है :-

।. उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वर्ष 2021-22 के लिए ही मान्य होगा।

2. विद्यालय /संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम 1993 तथा समय-समय पर विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावेगी।

3. विद्यालय /संस्था द्वारा राज्य / राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रमों में भागीदारी निभाई जावेगी।

4. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बाल वाहिनी के क्रम में जारी किए गुप्रे दिशा-निर्देश की अक्षरश: पालना की जावेगी।

5. विद्यालय /संस्था द्वारा भारत सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसरण में समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों/

नियमों की अक्षरशः पालना की जाएगी।

ीवद्यालय /संस्था परिसर में मोबाइल टॉवर स्थापित नहीं करेगा)

7. राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम -2016 नियम 2017 में वर्णित शर्तो की पालना करेगा।

8. राज्य सरकार एवं राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय का समय-समय पर निरीक्षण किया जा सकेगा तथा समय-समय पर विभाग एवं शासन द्वारा वांछित रिकॉर्ड एवं दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।

9. विद्यालय में दिव्यांग जनों के लिए रैम्प एवं अन्य आवश्यक सुविधाऐ उपलब्ध करवायी जावेगी।

10. भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों की पालना की जावेगी।

11. भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा आवश्यकता होने पर विद्यालय भवन का अधिप्रहण/ उपयोग राजकीय कार्य के लिए किया जा सकेगा

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं किए जाने की स्थिति विभाग द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम -1989 एवं नियम 1993 के तहत विद्यालय के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए विद्यालय को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाएगा। जिसके परिणामस्वरुप उक्त संस्था राज्य में विद्यालय का संचालन नहीं कर सकेगी।

विद्यालय का नाम	विभागीय मान्यता क्रमोन्नि स्तर	संबद्धता CBSE/CISCE	अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेने का सन्न	माध्यम
SCOTLE HIGH SCHOOL (P63107)	Upper Primary	CBSE	2021-22	Englist

note :- The section and its records shall be opened for inspection by an officer/official of the board or an authorized representative of Board/State educational Department at any time and the school shall furnish information as may be asked for by the board /state Government from time to time.

27.03.21

For Abhimanyu Education Society

निदेशक,माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

SCOTLE HIGH SCHOOL CBSE AFF. No. 1731084 ADINATH NAGAR, SIRSI ROAD

JAIPUR-302034 (RAJASTHAN)

नोट अगट बिभिन्न खूलों / डीईओ (मा.पि.)/ निदेशालय कार्यालय द्वारा इस वेबसाइट पर अपलोड किए गए ठाटा की युद्धता के लिए किसी भी प्रव के लिए खूल / डीईओ(मा.पि.)/ निदेशालय जिम्मेदार होंगे।	कार की जिम्मेदारी अखीकार करता है। डाटा में किसी भी प्रकार की विसंगति
के लिए स्कूत / डीईओ(मा.घि.) निदेशालय जिम्मेदार होंगे।	luna
Generated from NIC-PSP(http://rajpsp.nic.in) Web-Portal On Dated: 27-03-2021	PRINCIPAL

Generated from NIC-PSP(http://rajpsp.nic.in) Web-Portal On Dated: 27-03-2021

Print